

## गन्ने हेतु अतिरिक्त भुगतान

### प्रलिस के लयः

**गन्ना, उचतऱ और लाभकारी मूल्य** (Fair and Remunerative Price- FRP)

### मेन्स के लयः

कृषऱ मूल्य नरऱधारण, भारतीय अरथवयवसुथा में चीनी उत्पादन, गन्ना उद्योग के समकष चुनौतयऱँ

## चरुा में कयऱँ?

भारत सरुकार ने सहकारी चीनी मलऱँ दवारा कसऱनों को गन्ना हेतु कयऱँ गए अतिरिक्त मूल्य भुगतान को "व्यावसायकऱ वयय" के रूप में दावा करने की अनुमताऱऱदान करके एक महत्तवपूरण कदम उठाया है ।

## गन्ने हेतु अतिरिक्त भुगतान का मुद्दाः

- गन्ना भारत में एक प्रमुख फसल है, खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमलिनाडु जैसे राजयऱँ में ।
- केंद्र प्रत्येक वर्ष गन्ने के लयऱँ **उचतऱ और लाभकारी मूल्य** नरऱधारतऱ करता है, यह चीनी मलऱँ दवारा कसऱनों को उनके गन्ने की खरीद के लयऱँ भुगतान की जाने वाली नयूनतम राशऱँ है ।
- हालाँकऱँ कुछ सहकारी चीनी मलऱँ, वशऱँ रूप से महाराष्ट्र में कसऱनों को प्रोत्साहन अथवा बोनस के रूप में FRP से अधकऱ का भुगतान करती हैं । इसे अतिरिक्त गन्ना भुगतान (**Excess Cane Payment**) कहा जाता है ।
- इस अतिरिक्त गन्ना भुगतान के कारण सहकारी चीनी मलऱँ और आयकर वभऱग के बीच कर ववऱद खड़ा हो गया है ।
  - ये मलऱँ अतिरिक्त भुगतान का दावा व्यावसायकऱ वयय के रूप में करती हैं, जबकऱँ वभऱग इसे मुनाफे का वतरऱण मानता है और इन पर कसऱँ भी प्रकार की छूट की अनुमताऱँ नहीं देता है ।

## ववऱद नपऱटान की प्रकरयऱः

- भारत सरुकार ने वतऱतऱ अधनऱयऱम में संशोधन करते हुए वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में सहकारी चीनी मलऱँ को अपनी व्यावसायकऱ आय की गणना के लयऱँ कटौती के रूप में अतिरिक्त गन्ना भुगतान का दावा करने की अनुमताऱँ दी । हालाँकऱँ यह 2016-17 मूल्यांकन वर्ष से लागू कयऱँ गया था ।
- भारत सरुकार ने सत्र 2023-24 के केंद्रीय बजट में सत्र 2015-16 से पहले के सभी वतऱतऱय वर्षों के लयऱँ कटौती के लाभ में वृद्धकऱँ है । यह आयकर अधनऱयऱम की धारा 155 में संशोधन कर कयऱँ गया था ।
- इस कदम से वतऱतऱय वर्ष 2015-16 से पहले कयऱँ गए भुगतान के संबध में लंबतऱ कर मांगों और मुकदमेबाज़ी के वरऱदुध सहकारी चीनी मलऱँ को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मलऱऱने की उम्मीद है ।

## उचतऱ और लाभकारी मूल्य (FRP):

- परचयः
  - यह सरुकार दवारा नरऱधारतऱ मूल्य है, चीनी मलऱँ कसऱनों से गन्ने की खरीद इस मूल्य पर करने को बाधयऱँ है ।
- भुगतान और समझऱँताः
  - मलऱँ को कानूनी तौर पर कसऱनों से खरीदे गए गन्ने के लयऱँ उन्हें FRP का भुगतान करना आवशुयक है ।
  - मलऱँ कसऱनों के साथ समझऱँते पर हसुताकषर करने का वकऱलप चुन सकती हैं, जसऱँसे उन्हें कशऱँतऱँ में FRP का भुगतान करने की अनुमताऱँ मलऱँ सके ।
  - वलऱंबतऱँ भुगतान पर प्रतऱवऱरुष 15% तक का बयऱज शुल्क लग सकता है और चीनी आयुकुतऱँ, मलऱँ की संपत्तऱँ को संलग्न करके भुगतान न कयऱँ गये FRP की वसूली कर सकते हैं ।

#### ■ शासी वनियम:

- गन्ने का मूल्य नरिधारण **आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955** के तहत जारी गन्ना (नरिंतरण) आदेश, 1966 के वैधानकि प्रावधानों द्वारा नरिंतरति होता है।
- नरिमाओं के मुताबकि, FRP का भुगतान गन्ना डलीवरी के 14 दनों के अंदर करिा जाना चाहरि।

#### ■ नरिधारण एवं घोषणा:

- FRP का नरिधारण **कृषलागत और मूल्य आरुग (CACP)** की सफारशों के आधार पर करिा जाता है।
- **आरुथकि मामलों की कैबनरि समतरि (CCEA)** ने FRP की घोषणा की।
- FRP की घोषणा आरुथकि मामलों की कैबनरि समतरि (CCEA) द्वारा की जाती है।

#### ■ वरिारणीय कारक:

- FRP में वभिन्न कारकों को धर्यान में रखा जाता है जसमें **गन्ना उत्पादन की लागत, वैकल्पकि फसलों से प्राप्त नरिधि, कृष वरिस्तुओं की कीमतों में रुझान, उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता, चीनी का बकिरी मूल्य, गन्ने से चीनी की रकिवरी और गन्ना उत्पादकों के लरि आय सीमा शामिल है।**



## Prices of Sugarcanes are determined by Central and State Government.



### Fair and Remunerative Price (FRP)

- The Central Government announces FRP which are determined on the recommendation of the CACP and announced by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
  - The FRP is based on the Rangarajan Committee report on reorganising the sugarcane industry.



### State Advised Prices (SAP)

- The SAP is announced by the Governments of key sugarcane producing states.
  - The price is calculated by the experts, who calculate the entire economics of the crop by taking input cost and then suggest to the government, which may agree or not.

#EconomyAndEndeavour

//

गन्ना:



